

18/11/22

जाय पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपास्थित
जाये। वासी तलवी परिवारही गण, वकील वादी ने
समय चाहा। परन्तु पूर्व में भी कई बार अवसर,
न्यायहित में अग्रिम अवसर दिये जाने के उपरांत
भी 11/01/2021 में घारी तलवी वास्तव आवेशों की
पालना आदिनांक तक बही की है। अतः वादी
के वाद की अहम अहायगी अनुपालना तलवी
वास्तव आवेशों नियम 5 के तहत शरित्त किया
जाता है। प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही इसी सर
पर शेष की जाती है। पत्रावली के संख्ये शुमार
होकर नम्बर से कम है। वाद तम्मिल जमा जिला
लेख भण्डार है। सुनाया गया।

18/11/22

आप यह प्रांप्त पतावली मूल दवा पतावली के
साथ पेश करें। वकील प्राची उपास्थित आर्य।
चूंकि आप प्राची की मूल दवा पतावली अद्वय
अद्वयगी अनुपालना आदेश 9 नियम 5 के
तहत शारिज की बां चुकी है। इसी उपास्थित में
इस प्रांप्त पतावली का कोई अंगित्य नहीं रह
गया है। इस यह प्रांप्त पतावली भी अद्वय
अद्वयगी अनुपालना आदेश 9 नियम 5 के
तहत शारिज की बांकर प्रकार की अंगित्य
कार्यवाही इसी स्तर पर शेष की जाती है।

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नम्बर एवं तारीख
हुक्म की तारीख

पत्रावली केसाल सुधार होकर नम्बर 'ए' का ही
बाद तकमिल एकेचन मूल द्वारा पत्रावली रहे।
युनशां जायां।

